VIKRAM UNIVERSITY, UJJAIN 357

ORDINANCE NO. - 65

~~DEVI AHILYA VISHWAVIDYALAYA, INDORE~~

~~ORDINANCE NO. 102*~~

1. DEGREE TITLE : MASTER OF MANAGEMENT SCIENCE

2. NAME OF FACULTY : FACULTY OF MANAGEMENT

3. DURATION OF COURSE : FIVE YEARS AFTER 10+2

4. ELIGIBILITY :

A candidate should have passed 10+2 with minimum 50% marks from any recognized State / Central Educational Board or equivalent.

5. ADMISSION PROCEDURE :

As decided by Devi Ahilya Vishwavidyalaya from time to time..

6. TOTAL SEATS :

As per Statute No.27 of Devi Ahilya Vishwavidyalaya.

7. FEE STRUCTURE :

As decided by Devi Ahilya Vishwavidyalaya.

8. EXAMINATION, CURRICULUM & RELATED REGULATIONS :

As per Ordinance 31 of Devi Ahilya Vishwavidyalaya.

9. ELIGIBILITY FOR DEGREE :

A candidate who completes successfully first three years requirement of examinations as per Ordinance No.31 will be awarded Bachelor of Management Science, and on further successful completion of two year as per Ordinance No.31 will be awarded Master of Management Science.

10. ATTENDANCE REQUIREMENT :

A candidate should have at least 75% attendance in Theory and Practical separately . In exceptional cases it may be relaxed as admissible under applicable Ordinances.

11. GENERAL INSTRUCTIONS & SPECIFIC PROVISION :

For matters not covered in this Ordinance, General Rules of DEVI AHILYA VISHWAVIDYALAYA as applicable in Semester/Annual Examination shall apply. In other matters EXECUTIVE COUNCIL of DEVI AHILYA VISHWAVIDYALAYA shall be competent to take decision.

* As per decision of the Coordination Committee meeting dated 4th September 2000, the course can be conducted by the University Teaching Depts. only.

358

VIKRAM UNIVERSITY, UJJAIN

ORDINANCE NO. 66

DEVI AHILYA VISHWAVIDYALAYA INDORE

ORDINANCE NO. 33

[illegible]ANCE FOR BACHELOR OF LAW EXAMINATION FOR B.A., LL.B. (HONS.) DEGREE

(Five Years' course)

(Faculty of Law)

[illegible] Degree of Bachelor of laws (B.A., LL.B. (HONS)) shall comprise a course [illegible] spread over a period of Five Academic years and the candidates will be [illegible] regular students.

[illegible] ELIGIBILITY FOR ADMISSION SHALL BE AS FOLLOWS:

[illegible] the time of joining the course of instruction in law, the person [illegible] concerned has passed an examination in 10+2 or 11+1 course of [illegible] schooling recognised by the educational authority of Central or State [illegible] Governments or possesses academic qualifications are considered [illegible] equivalent to 10+2 or 11+1 course by the Bar Council of India [illegible]

[illegible] entry would be permitted in Third Year of the [illegible] graduates in any discipline as prescribed by Bar Council of [illegible] depending on the availability of seats and the [illegible] of such candidates should ordinarily not exceed [illegible] of the [illegible]

[illegible] candidate must have completed the age of 17 years at the time of [illegible]

1. नामरूपविज्ञानम्

द्रव्याणां नामज्ञानस्य महत्त्वम्, वेदेषु ओषधीनां नामरूपज्ञानस्य बीजम्। ओषधीनां विविधनामकरणम्, तन्नाम्नां पर्यायाणां च [illegible] वर्गीकरणं च विवेचनम्।

[illegible] ओषधीनां [illegible] परिचयः कार्यपद्धतिश्च।

2. गुणकर्मविज्ञानम्

मौलिकसिद्धान्तानां रसगुणवीर्यविपाकादीनां विवेचनम्, औषधद्रव्याणां [illegible] ; गुणकर्मज्ञानस्य नवविधानामुपकरणयन्त्राणां च परिचयः कार्यपद्धतिश्च।

3. प्रयोगविज्ञानम् औषधयोगविज्ञानं च

औषधद्रव्याणां आहारद्रव्याणां च विविधरोगेषु [illegible] प्रयोगज्ञानं, कर्मनिरूपणं च, द्रव्य संयोग विरोध–मात्रा–अनुपानादीनां [illegible] विचारः।

4. निघण्टोः स्वरूपं विकासक्रमश्च

द्रव्यगुणशास्त्र सम्बन्धि ऐतिहासिकः परिचयः धन्वन्तरि–राजनिघण्टु प्रभृति [illegible] निघण्टुग्रन्थानां तेषां कर्तॄणां काल–निर्धारण-पुरःसरः परिचयः।

आलोच्यग्रंथाः :

1. [illegible] ओषधिसूक्तं सायणभाष्यसहितम्। चरकसुश्रुतवाग्भटादीनामुपयोगिनो भागाः।
2. द्रव्यगुणविज्ञानम् — यादवजी त्रिकमजी आचार्य।
3. द्रव्यगुणविज्ञानम् — [illegible] शर्मा।
4. औषधगुणविज्ञानम् — पं॰ विश्वनाथ द्विवेदी।
5. [illegible] औषधपरिचयविज्ञान — पं॰ विश्वनाथ द्विवेदी।
6. धन्वन्तरिनिघण्टुः राजनिघण्टु सहितः
7. शार्ङ्गधरसंहिता
8. योगरत्नाकर
9. औषधगुणधर्मसार — पं॰ गंगाधरशास्त्री गुणे।
10. द्रव्यगुण विज्ञान सम्बन्धी आधुनिकाः ग्रंथाः

//= विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन =//

=x=x=x=x=x=x-x-x=x=x=x=x=

समन्वय समिति की 45वीं बैठक दिनांक 24 अप्रैल 1992

ब-1 विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का अध्यादेश क्रमांक 3 में संशोधन:

विज्ञान संकाय के विषयों की सूची में क्रमांक [9] कम्प्यूटर साइंस जोड़ने तथा कम्प्यूटर विभाग एवम् अध्ययनबोर्ड को विज्ञान संकाय के अंतर्गत रहने का प्रस्ताव समन्वय समिति ने मान्य किया ।

[कार्यवाही-विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन]

ब-3 पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का अध्यादेश क्रमांक 4 में संशोधन:

समन्वय समिति ने यह तय किया है कि 23.4.1992 से सभी विश्वविद्यालय में यू.जी.सी. के नवीनतम निर्धारित मानदण्ड तथा गाइड लाइंस के अनुसार ही नियुक्तियां हों । इसी तरह यांत्रिकी संकाय में ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित गाइडलाईंस ही लागू मानी जाए ।

[कार्यवाही- सभी विश्वविद्यालय]

ब-7 विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का अध्यादेश क्रमांक-5 में संशोधन:

अध्यादेश क्रमांक 5[3][6] के पश्चात् [7] को जोड़ने का प्रस्ताव है जिससे विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्रों के लिए उड़न दस्ते की नियुक्ति की जा सके ताकि विश्वविद्यालय परीक्षाओं का कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके । समन्वय समिति ने निर्णय लिया कि संरचना एवम् नियुक्ति की प्रक्रिया के प्रावधानों को स्पष्ट कर पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय ।

[कार्यवाही-विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन]

ब-9 विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के अध्यादेश क्रमांक 6 में संशोधन:

[परीक्षा शुल्क को लौटाना]

परीक्षार्थियों के आवेदन रद्द करने की स्थिति में अध्यादेश क्रमांक 6 [24][2] तथा [3] में रूपये 5/- की कटौती कर शेष राशि लौटाने का प्रावधान है । अब समिति ने 5/- की कटौती के स्थान पर 15/- की वृद्धि की अनुमति दी है ।

ब-10 विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का अध्यादेश क्रमांक 6 में संशोधन

अध्यादेश क्रमांक 6 (35)3) में एल.एल.बी. प्रथम, द्वितीय एवम् तृतीय वर्ष की परीक्षा में पूरक की पात्रता हेतु न्यूनतम 20% अंक की के संबंध में अन्य विश्वविद्यालय की स्थिति, उपस्थित कुलपतियों से ज्ञात कर समिति ने संशोधन की स्वीकृति दी ।

(कार्यवाही- विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन)

ब-11 विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का अध्यादेश क्रमांक 6 में संशोधन;

प्रस्ताव है कि स्नातक प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्ष में एक जैसे ही विषय हो । द्वितीय व तृतीय वर्ष की परीक्षा के लिए वही विषय होगें जो क्रमश: प्रथम एवम् द्वितीय वर्ष परीक्षा में लिए थे तथा संकाय परिवर्तन के लिए अनुमति नहीं होगी । 10+2+3 प्रणाली के उदभव के कारण समिति ने यह प्रस्ताव मान्य किया । यह संशोधन दिनांक दिनांक 27.3.91 से प्रभावशील होगा ।

(कार्यवाही-विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन)

ब-13 विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की अध्यादेश क्रमांक 7 में संशोधन

समिति ने नवीनतम निर्देशों के अनुरूप अध्यादेश 7(6)(3) में बी.एच. में प्रवेश नियंत्रित करने की अनुमति दी ।

(कार्यवाही- विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन)

ब-15 विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का अध्यादेश क्रमांक 11 में संशोधन.

परीक्षा शुल्क तथा अन्य शुल्कों की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव मान्य किया ।

(कार्यवाही- विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन)

ब-17 विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का अध्यादेश क्रमांक 12 में संशोधन

समन्वय समिति द्वारा पी.एच-डी. से संबंधित अनुमोदित नवीन अध्यादेश सभी विश्वविद्यालय द्वारा प्रभावशील करने का निर्णय दिया है । अत: इस विश्वविद्यालय में यह संशोधन समिति

ब-18 विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के अध्यादेश क्रमांक 22 में संशोधन·

सेमेस्टर पद्धति की परीक्षा में पूरक पाने वाले परीक्षार्थियों की पात्रता शर्तों के स्पष्टीकरण स्वरूप यह संशोधन समिति ने मान्य किया ।

[कार्यवाही-विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन·]

ब-22- विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का अध्यादेश क्रमांक 27 में संशोधन·

एम·बी·ए· परीक्षा में पूरक या द्वितीय परीक्षा का प्रावधान नहीं है । समिति ने उपस्थिति की कमी के कारण परीक्षा में रोके गए परीक्षार्थियों को पुन: उसी सेमेस्टर में प्रवेश सुरक्षित रखने के लिए यह संशोधन मान्य किया ।

[कार्यवाही-विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन]

ब-23 विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का अध्यादेश क्रमांक 30 में संशोधन·

यांत्रिकी संकाय को सेमेस्टर परीक्षाओं में प्रसादांक लाभ के लिए है । समन्वय समिति ने निर्णय लिया है कि एक सेमेस्टर में 03 अंक का प्रसादांक ही दिया जाये जो केरी फार्वर्ड नहीं होंगे ।

[कार्यवाही-विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन·]

ब-25 विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का अध्यादेश क्रमांक एवं 34 में संशोधन·

यह संशोधन प्रस्ताव एम·ई· परीक्षाओं से संबंधित है, जिसको संचालक तकनीकी शिक्षा ने परीक्षण कर अनुमोदन की अनुशंसा की है । समिति ने संशोधन प्रस्ताव को मान्य किया ।

[कार्यवाही- विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन]

ब-26 विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का अध्यादेश क्रमांक 35 में संशोधन

म·प्र· में अन्य राज्यों से आने वाले छात्रों को विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय फीस लिए जाने के संबंध में प्रस्ताव को समिति ने मान्य किया ।

[कार्यवाही-विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन]

क्रमश: --4--

ब-27 विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का अध्यादेश क्रमांक 26 में संशोधन•

आयुर्वेद संकाय में पी•एच•डी• उपाधि हेतु नवीन अध्यादेश तैयार किया जाना। समिति ने निर्णय लिया कि प्रस्ताव पुनरीक्षित कर प्रस्तुत किया जाय।

[कार्यवाही-विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन]

ब-28 विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का अध्यादेश क्रमांक 37 में संशोधन•

समिति ने पुस्तकालय का कार्य सुचारु रूप से संचालित हो इसके लिए प्रस्तावित नवीन अध्यादेश मान्य किया।

[कार्यवाही -विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन•]

ब-34 अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय, रीवा के अध्यादेश क्रमांक 71 में संशोधन: २८.११.९२ (76)

संशोधन का प्रस्ताव विभागाध्यक्षों की नियुक्ति एवम् सेवा शर्तों के संबंध में है•

किन्तु समिति ने इसमें से पेरा-2 से तीन वर्ष की अवधि के उल्लेख को विलोपित किए जाने एवम् पेरा-4 के उपखण्ड [xi] के पश्चात् [xii] उपखण्ड निम्नानुसार अन्तः स्थापित किया जाने का निर्णय लिया :-

(XII)"The Head of the department would ensure the participation of his Collegues in remunerative and non remunerative work of the university including the examination work".

इन्दौर विश्वविद्यालय के कुलपति ने रिवाइज्ड ड्राफ्ट दिया है।

[कार्यवाही- सभी विश्वविद्यालय]

ब-38 पं•रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर के अध्यादेश क्रमांक 59 में संशोधन•

यह संशोधन प्रस्ताव बी•एड• में प्रवेश नियंत्रण से संबंधित है• यह प्रस्ताव समिति ने मान्य किया और उज्जैन का आदर्श अध्यादेश सभी विश्वविद्यालय लागू करें•ऐसा निर्णय लिया गया।

[कार्यवाही-सभी विश्वविद्यालय,]

क्रमशः---5--

ब-42 अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय, रीवा का अध्यादेश क्रमांक-5 में संशोधन

यह संशोधन का प्रस्ताव अन्वेषण शुल्क में वृद्धि एवम् इसके वितरण की दर निर्धारित करने के संबंध में है।

समन्वय समिति ने निर्णय लिया कि सभी विश्वविद्यालय अन्वेषण शुल्क में वृद्धि कर वार्षिक परीक्षा 1993 से दस रूपये किये करें। वितरण की दर में भी सभी विश्वविद्यालय में एक रूपता रहें, इसके लिए आयुक्त एवम् प्रशासकीय विभाग यथोचित कार्रवाई करें।

(कार्यवाही-सभी विश्वविद्यालय एवम् उच्च शिक्षा विभाग)

ब-44 विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का अध्यादेश क्रमांक 8 में संशोधन

वर्ष 1991-92 से सेतु पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात् प्रवेश दिये जाने के संबंध में समन्वय समिति की 43वी बैठक में लिये गये निर्णय की व्यवस्था न्यायालयों में लंबित याचिकाओं में हुए निर्णयानुसार लागू करना समिति ने मान्य किया।

(कार्यवाही-विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन)

ब-65 विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का अध्यादेश क्रमांक 8 में संशोधन

समन्वय समिति ने सेतु पाठ्यक्रम परीक्षा एक वर्ष और वर्ष 1992-93 में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया।

(कार्यवाही-सभी विश्वविद्यालय)

//= विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन =//

समन्वय समिति की 46वीं बैठक का कार्य-विवरण

दिनांक 5 एवम् 6 नवम्बर 1992

ब-1 एवं ब-12 अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय, रीवा एवं डॉ॰ हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर का अध्यादेश क्रमांक 4 में संशोधन।

शिक्षकों की नियुक्ति यू॰जी॰सी॰ द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं के अनुरूप किये जाने का प्रस्ताव समन्वय समिति ने मान्य किया।

(कार्यवाही-सभी विश्वविद्यालय)

ब-3 जीवाजी विश्वविद्यालय, ~~जबलपुर~~ ग्वालियर का अध्यादेश क्रमांक 6(25) में संशोधन।

अंक संपरीक्षा अथवा पुर्नमूल्यांकन शुल्क में वृद्धि तथा इस शुल्क को वापस किये जाने के विद्यमान प्रावधान को समाप्त करने के प्रस्ताव को समिति ने स्वीकृति दी।

(कार्यवाही-सभी विश्वविद्यालय)

ब-4 अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय, रीवा का अध्यादेश क्रमांक-10(सी) में संशोधन।

सारणीयक को प्रस्तावित रूपये 15/- प्रति दिवस वाहन भत्ता के बजाए रूपये 25/-प्रति दिवस समन्वय समिति की बैठक दिनांक से दिया जाना समिति ने इस शर्त के साथ मान्य किया है कि यह वाहन भत्ता उसी कार्यस्थल पर कर्तव्य कार्य पर उपस्थित विश्वविद्यालय के शिक्षकों/कर्मचारियों को देय नहीं होगा।

(कार्यवाही-सभी विश्वविद्यालय)

...

//= विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन =//

समन्वय समिति की 47वीं बैठक का कार्य-विवरण

दिनांक 12 अगस्त 1993

~~पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का अध्यादेश क्रमांक 45 में संशोधन.~~

उपसमिति ने पी.एच-डी. ,डी.लिट.,डी.एस.सी. एवम् एल.एल.डी. के लिए सभी विश्वविद्यालयों को एक समान लागू किये जाने के लिए अध्यादेश प्रारूप प्रस्तुत किये । समन्वय समिति ने उपरोक्त प्रारूप का समस्त विश्वविद्यालयों के लिए अनुमोदन किया । उक्त अध्यादेश 1.9.1993 से प्रभावशील होगा ।

[कार्यवाही-सभी विश्वविद्यालय]

//= विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन =//

समन्वय समिति की 48वीं बैठक का कार्य-विवरण, दिनांक 5 मई 1994

ब-2 विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का अध्यादेश क्रमांक 5 में संशोधन.

समिति ने पुनर्मूल्यांकन के संशोधन प्रस्ताव को अस्वीकृत किया.

(कार्यवाही-उज्जैन विश्वविद्यालय)

ब-3 विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का अध्यादेश क्रमांक 5 में संशोधन.

समिति ने प्रस्ताव को अस्वीकृत किया । उपाधि लिखने एवम् जांच करने के लिए परीक्षा पारिश्रमिक की दर उच्च स्तरीय समिति द्वारा पुनरीक्षित अध्यादेश क्रमांक 05 में वर्णित दर के अनुसार होगी ।

(कार्यवाही-उज्जैन विश्वविद्यालय)

ब-4 विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का अध्यादेश क्रमांक 5 में संशोधन

समिति ने परीक्षा केन्द्रों को परीक्षा संचालन हेतु दी जाने वाली राशि की दर बाबे में संशोधन बाबत् प्रस्ताव अगली बैठक में प्रस्तुत किए जाने का निर्देश दिया ।

(कार्यवाही- उज्जैन विश्वविद्यालय)

ब-6 विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का अध्यादेश क्रमांक 27 में संशोधन.

एम.बी.ए. के अंशकालीक व 3 वर्षीय पाठ्यक्रम से संबंधित होने से ए.आई.सी.टी.ई. की अनुमति आवश्यक होने से निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आवश्यक स्वीकृति लें.

ब-8 विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का अध्यादेश क्रमांक 32 में संशोधन

समिति ने कम्प्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन के डिप्लोमा के अतिरिक्त रूपये 500/- लिए जाने की अनुमति प्रदान की ।

(कार्यवाही-उज्जैन विश्वविद्यालय)

ब-9 विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का अध्यादेश क्रमांक 35 में संशोधन.

समिति ने विधि पाठ्यक्रम के कर्मचारियों के पति/पत्नि को शिक्षण शुल्क से छूट दिए जाने के प्रस्ताव को अस्वीकृत किया ।

(कार्यवाही-उज्जैन विश्वविद्यालय)

//= विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन =//

समन्वय समिति की 50वीं बैठक का कार्य-विवरण, दिनांक 17 नवम्बर 1994

ब-6 विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का अध्यादेश क्रमांक 39 में संशोधन पर विचार

यह प्रस्ताव पोस्ट मास्टर्स डिप्लोमा कोर्स इन एडल्ट/कंटीन्यूइंग एजूकेशन से संबंधित है यह नया पाठ्यक्रम स्ववित्तीय आधार पर चलाया जायेगा। सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के संदर्भ में इस पाठ्यक्रम को चलाया जाना पूर्णत: प्रासंगिक है। प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(क्रियान्वयन, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन)

ब-7 विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का अध्यादेश क्रमांक 40 में संशोधन पर विचार

जनसंख्या शिक्षा/ग्रामीण अध्ययन/जन संचार माध्यम एवम् पत्रकारिता का स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स चलाये जाने हेतु यह प्रस्ताव स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत संचालित होगा। समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

(क्रियान्वयन-विक्रम विश्वविद्यालय)

ब-13- विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का अध्यादेश क्रमांक 4 में संशोधन

यह अध्यादेश शिक्षकों की शैक्षणिक अर्हताएँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अर्हताओं के अनुरूप किये जाने के विषय में है। प्रस्ताव को सर्व-सम्मति से मान्य किया गया।

(क्रियान्वयन, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन)

ब-14 विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन का अध्यादेश क्रमांक 27 में संशोधन

उक्त प्रस्ताव एम.बी.ए. पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 30 से बढ़ा कर 60 स्थान करने के विषय में है। प्रस्ताव स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत है। इसे सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया।

(क्रियान्वयन, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन)

//= विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन =//

समन्वय समिति की 51वीं बैठक का कार्य-विवरण, दिनांक 23 मई 1995

अ-2॥10॥ विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का अध्यादेश क्रमांक 05 में संशोधन

सभी विश्वविद्यालय के लिये परीक्षा संचालन हेतु परीक्षा केन्द्रों द्वारा किये जाने वाले व्यय की राशि 3/-रू॰ प्रति परीक्षार्थी से बढ़ाकर 4/-रू.प्रति परीक्षार्थी किये जाने का अनुमोदन किया गया परन्तु न्यूनतम न्युनतम राशि प्रति केन्द्र 500/- रू॰ ही रहेगी।

॥क्रियान्वयन-समस्त विश्वविद्यालय॥

ब-4 देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,इंदौर के अध्यादेश क्र॰20 की कंडिका 11 में संशोधन पर विचार॰

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,इंदौर के महाविद्यालयीन विकास परिषद् के संचालन की नियुक्ति की विधि ,अर्हताओं तथा नियुक्ति से संबंधित क्रमांक 20 की कंडिका 11 के संदर्भ में निर्णय लिया गया कि यू॰जी॰सी॰ के नियमानुसार इसमें संशोधन किया जाए।

॥क्रियान्वयन-समस्त विश्वविद्यालय॥

ब-11 विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन के अध्यादेश क्र॰30 में संशोधन पर विचार॰

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में प्रवेश स्वयं परीक्षाओं से संबंधित अध्यादेश क्र॰30॥3॥में संशोधन पर बिन्दु क्रमांक क्रमांक ब-6 में एकीकृत पाठ्यक्रम का निर्णय लिया जा चुका है।

॥क्रियान्वयन-विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन॥

ब-12 विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन के अध्यादेश क्रमांक 5 में संशोधन पर विचार॰

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन के उत्तर-पुस्तिकाओं के पुर्नमूल्यांकन से संबंधित अध्यादेश क्रमांक 5 में संशोधन पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1॰ परीक्षार्थियों की अधिक संख्या होने की स्थिति में केंद्रीय पुर्नमूल्यांकन कराया जाये।

2॰ यदि पुर्न-मूल्यांकन के फलस्वरूप किसी प्रत्याशी के प्राप्तांकों में पूर्णांकों के 20% से अधिक की वृद्धि होती है तो कुलपति द्वारा ऐसी उत्तरपुस्तिका मूल परीक्षक द्वारा दिये गये अंक एवम् पुर्नमूल्यांकन में दोनों परीक्षकों द्वारा दिये गये अंकों सहित विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र के बाहर के एक वरिष्ठपरीक्षकों को भेजी जाये तथा इस वरिष्ठ अधीक्षक द्वारा दिये गये अंक अंतिम रूप से मान्य कि...